न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X(उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०......771/2023

सरकार बनाम नीील आदि

अंतर्गत धारा–307,279,34 भा०द०सं०

थाना–मोदीनगर गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–245/2023

<u>आरोप</u>

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण नील, तुषार एवं गोलू उर्फ शिवम को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 30.04.2023 को समय 02.00 बजे रात्रि स्थान तिबड़ा बम्बा अंतर्गत सीमा थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण द्वारा अपनी स्विफ्ट गाड़ी संख्या–UP 14TC 0634(टैम्परेरी नंबर) से वादिनी के भाई अभिषेक एवं उसके दोस्त दीपक चौधरी को जान से मारने की नीयत से जानबूझकर उनका पीछा किया गया तथा वादिनी के भाई व उसके दोस्त की मोटरसाईकिल संख्या–UP14FF2338 में दो–तीन बार टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया गया तथा उनपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आपके द्वारा उक्त कृत्य इस आशय, ज्ञान व परिस्थिति में किया गया कि यदि आपके द्वारा किए गए उक्त कृत्य से वादिनी के भाई अभिषेक व उसके दोस्त दीपक चौधरी की मृत्यु हो जाती तो आप अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–307 सपठित धारा–34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा स्विफ्ट कार संख्या–UP 14TC 0634(टैम्परेरी नंबर) को बिना रोके लोक मार्ग पर उतावलेपन/तेज गति से चलाकर वादिनी के भाई अभिषेक व उसके दोस्त दीपक चौधरी की मोटरसाईकिल संख्या–UP14FF2338 में टक्कर मारकर अपने वाहन को उनपर चढ़ाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–279 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों में आप अभियुक्तगण का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांकः20–02–2024

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांकः20–02–2024

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2024.02.20 17:28:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court